

अन्तिम डिक्री मुकदमा इबादाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टांकरडा)अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1. रामनारायण पुत्र लालचन्द
2. सीताराम पुत्र लालचन्द
जातियान् माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. बोदूराम पुत्र स्व० श्री नानगराम
2. अर्जुनलाल पुत्र श्री बोदूराम
3. प्रहलाद पुत्र गोपी
4. राधेश्याम पुत्र प्रहलादसहाय
5. सुरेश पुत्र प्रहलादसहाय
6. रमेश पुत्र प्रहलादसहाय
7. राजेश पुत्र प्रहलादसहाय
8. झूमा पत्नि श्री अर्जुन
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, कस्बा चौमूं, जिला जयपुर।
10. बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 136/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादीगण का वाद इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया जाता है। वादीगण बेदखली का दावा पृथक से लाने के लिए स्वतन्त्र हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दपतर हों।

बसर्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
ओहदा.....उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदाईला | रूपये | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | 2 | | स्टाम्प वकालत नामा | 0 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | 4 | | मीजान | 0 | |

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर